



1989

# डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद

पत्रांक: लो०अ०वि०/रा०से०यो०/ 8181 /2018

दिनांक: 07.06.2018

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या

राष्ट्रीय सेवा योजना,

डॉ० रा०म०लो०अ०वि० फैजाबाद से सम्बद्ध सभी महाविद्यालय।

महोदय,

कृपया संलग्न कार्यालय जिलाधिकारी के पत्रांक 243/पुनरीक्षण 2017/स्वीप-ELC दिनांक 29 मई, 2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार महाविद्यालयों में Electrol literacy कमेटी गठन करते हुए दिये निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक - यथोपरि-

भवदीय

डॉ० समीर सिन्हा

कार्यक्रम समन्वयक

राष्ट्रीय सेवा योजना

डॉ०रा०म०लो०अ०वि०, फैजाबाद

अम.व.

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कुल सचिव, डॉ०रा०म०लो०अ०वि०, फैजाबाद।
2. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी को सूचनार्थ।
3. ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित कि इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

डॉ० समीर सिन्हा

कार्यक्रम समन्वयक

राष्ट्रीय सेवा योजना

डॉ०रा०म०लो०अ०वि०, फैजाबाद

अम.व.

# कार्यालय जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, फैजाबाद।

संख्या: 243 / पुनरीक्षण-2017 / स्वीप-ELC

दिनांक 29 मई, 2018

248  
02/06/18

1. कुल सचिव, डॉ0रा0म0लो0अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
2. कुल सचिव, नरेन्द्रदेव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद।
3. जिला विद्यालय, निरीक्षक, फैजाबाद।
4. प्राचार्य, समस्त शैक्षणिक शिक्षा संस्थान, जनपद-फैजाबाद।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2345/सीईओ-4-41/4-2015 दिनांक 06 नवम्बर, 2017 में दिये गये निर्देशानुसार स्वीप-III "Continuous electoral and democracy education" योजना के अर्न्तगत आयोग से प्राप्त Project Document on Electoral Literacy Clubs in India से सम्बन्धित Framework and action Plan के बिन्दु संख्या-10 District Committee on Electoral Litreacy (DCEL) के सबबिन्दु संख्या-10.1 में दिये गये निर्देशानुसार जनपद स्तर पर Electoral Literacy कमेटी का गणन किया जाना है।

उक्त दिये गये निर्देशों के कम में इस कार्यालय के आदेश संख्या-52/निर्वाचन-2017/स्वीप- 2017-18 दिनांक 29 नवम्बर, 2017 द्वारा जनपद स्तर पर Electoral Literacy कमेटी का गणन किया गया है। उक्त कमेटी से यह अपेक्षा की गयी कि आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में जनपद के स्कूल/ कालेज/शिक्षण संस्थानों में Electoral Literacy कमेटी गणन करते हुये कमेटी उसकी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय परन्तु आपके स्तर से अबतक उक्त सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस सन्दर्भ में सूच्य है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि समस्त कालेजों में Electoral Literacy कमेटी का गठन कर लिया गया है परन्तु उनके नोडल आफिसरों का नाम पदनाम, मोबाइल नम्बर एवं अन्य सूचनाये नहीं उपलब्ध करायी गयी है। अन्य किसी भी स्तर से कोई भी सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा हस्ताक्षरित पत्र संख्या-213/पुनरीक्षण-2017/स्वीप-ELC दिनांक 11 मई, 2018 एवं पत्र संख्या-221/पुनरीक्षण-2017/स्वीप-ELC दिनांक 17 मई, 2018 द्वारा पुनः यह अपेक्षा की गयी है कि तत्काल उपरोक्तानुसार सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, परन्तु आपके स्तर से उक्त सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

इस सन्दर्भ में सूच्य है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र, लखनऊ द्वारा पूर्व में मण्डल स्तर पर की गयी समीक्षा में भी निर्देशित किया गया है कि आप सभी लोग जनपद के स्कूल/कालेज/शिक्षण संस्थानों में Electoral Literacy कमेटी गणन करते हुये उक्त कमेटी के माध्यम से कक्षा-9, 10, 11, 12 एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को निर्वाचन और निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के महत्व के सम्बन्ध जागरूक किया जाय और आयोग के निर्देशों के अनुरूप समस्त युवाओं के नाम को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराते हुये निर्वाचन में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक क्लास में कार्यक्रम चलाया जाय।

जनपद के स्कूल/कालेज/शिक्षण संस्थानों में Electoral Literacy Club सदस्यों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किसी भी समय बैठक की जा सकती है।

इस सन्दर्भ में यह सूच्य है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने आज दिनांक 29.05.2018 को आहूत वीडियो कान्फेसिंग में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 01.06.2018 से दिनांक 30.06.2018 तक घर-घर भ्रमण एवं अर्हता दिनांक 01.01.2019 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के गहन प्रकृत के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की विभिन्न गतिविधियों में समस्त कालेजों में Electoral Literacy कमेटी के माध्यम से युवा छात्र/छात्राओं को जागरूक किया जाय और अधिक से अधिक संख्या में युवा पात्र मतदाताओं को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने और ईपी रेशियो, जेण्डर रेशियो, एज-कोहर्ट, मृतक, शिफटेड एवं डबल मतदाताओं के सत्यापन में बीएलओं के साथ सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

अतएव आप स्वयं व्यक्तिगत ध्यान देकर आज ही उपरोक्तानुसार सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ आने के पूर्व जनपद स्तर से उक्त कमेटी के साथ बैठक की जा सके। अतिरिक्त विलम्ब के प्रति आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,  
फैजाबाद।

## संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नांकित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद।
- 3- समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद-फैजाबाद को इस निर्देश के साथ कि अपने क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले प्रत्येक स्कूल/कालेजों/शिक्षण संस्थानों में Electoral Literacy कमेटी गणन से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करते हुये संकलित सूचना इस कार्यालय में तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,  
फैजाबाद।